फरीदाबाद
मजदूर समाचार
अनुभवों तथा विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

व्हाट्सएप के जरिये भी अपनी बातें हम तक पहुँचा कर चर्चा का दायरा बढायें। मजदूर समाचार फोन पर पायें और अपने ग्रुपों में भेज कर आदान-प्रदान बढायें। हमारे इस नम्बर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजें : 9643246782

नई सीरीज नम्बर 368 फरवरी 2019

कस्तूरी का क्या दायरा ?

अभी एक बहुत सुन्दर वीडियो आया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में।

मेरे पास भी एक बहुत सुन्दर वीडियो आया है। पहले तू सुना।

वीडियो में है कि सत्तर हजार साल पहले मानव ने अफ्रीका महाद्वीप से चलना शुरू किया। चलते रहा, फैलता रहा, विभिन्न जगह पहुँचता रहा, अभी भी चल रहा है। इस बीच सात अरब हो गया !

वाह! मेरा भी इससे कुछ जुड़ा-सा है। हिरण घूमते रहता है। चलते जाता है। कस्तूरी की सुगन्ध को ढूँढते हुये। हजारों जगह देख लेता है। कस्तूरी हिरण के तन में ही होती है। और वो दुनिया में हर जगह कस्तूरी की महक पाता है।

ये बात रोचक है कि इन्सान को हिरण का चलना पसन्द नहीं आता। आरक्षित घेरों में बान्ध देता है।

अरे यार इन्सान को अपने आप के चलने से परेशानी होने लगी। तरह-तरह के घेरों में अपने को बाँधते रहते हैं। समय के क्षितिजों को गुप्त कर देते हैं।

यह तूने अच्छा शब्द बोला है। समय क्षितिज। बहुत दिन बाद यह शब्द सुना। मैं जब तुम दोनों की बात सुन रही थी तब यह आया था दिमाग में कि कितने साधारण ढँग से सत्तर हजार साल अपने बीच में आया। और सात अरब के बनने की एक समय छाया मिली।

तू अपने फोन में क्या देखे जा रहा है? कुछ हुआ है क्या ?

एक बहुत साधारण-सी बात आई है। मैसेज है कि कल हम सब ड्युटी नहीं जायेंगे। मिल कर ऐसे करना साधारण है क्योंकि हर दस-पन्द्रह दिन में हम ऐसा कर ही लेते हैं। बहुत अच्छा दबाव रहता है।

मेरे बगल वाली तीन फैक्ट्रियों में हफ्ता-दस दिन में सब एक दिन ड्युटी नहीं पहुँचते। बोल रहे थे कि सब से आसान और असरदार है ऐसा करना। बहुत फोर्स लिये है।

कस्तूरी लिये हैं, कस्तूरी फैला रहे हैं।

कल ही चाय पीते समय हम सब एक पहेली में उलझ गये थे। कस्तूरी की चर्चा पे लगा है कि आप लोगों को उस पहेली में रस आयेगा।

चलिये सुनाइये। हम व्याकुल हैं। आपके जीवन में, हमारे जीवन में कस्तूरी।

एक साथी बोल रहे थे कि उनके कार्यस्थल पर एक लड़की पर वध-पूजक क्रूर बुद्धि ने जुर्माना लगाया। वो लड़की सब सहकर्मियों के साथ बोलने और सुनने में एक उदारता लिये रहती है। समय देती है, सहायता करती है, मित्र समझती है।

इसमें क्या पहेली है ?

हाँ एक पहेली बनती है। उसे जो जुर्माना लगाया वो उसकी इस सोच और व्यवहार के कारण लगाया। मैनेजमेन्ट का कहना है कि हम जब पगार दे रहे हैं तो हमारे हित ही सोचे जायें। व्यवहार तथा बोली में कोई और हित नहीं दिखने चाहियें।

समझ आया। अब सवाल यह बना आप लोगों में कि पगार की शर्त के दायरे क्या हैं ?

एकदम। पगार किस बात की लेते हैं ? कोई उदारतावश तो दे नहीं रहे हैं। काम के बदले पैसे मिलते हैं। ज्यादा काम और थोड़े पैसे। फिर ये दूसरा दायरा कहाँ से आ जाता है ? यह पहेली बन गई थी हमारी बातचीत में।

कई बार तो इस बात पर काम बन्द हो जाता है कि काम करते हैं तो पैसे देते हो, गाली किस बात की।

दायरों से टकराव तो हर वक्त है। नहीं , मुझे ऐसे कहना है कि टकरावों से दायरे बनते, बिगड़ते, टूटते हैं। हम एक तरह से दायरा-पूजक भी हैं। और दायरों में साँस भी फूलती है।

मानव चले जा रहा है। फैल रहा है। अद्भुत मिश्रण में है। कुछ हजार जो अफ्रीका से चलने लगे थे वो सात अरब हो गये हैं। और हम दायरा-पूजक बने रह गये !

अगर हिरण कस्तूरी ढूँढने नहीं निकलते तो वो दुनिया नहीं घूमते, एक ही जगह रह जाते, मोटे हो जाते, और हिरण ही नहीं रहते।

ये तू बहुत अच्छा बोली। मेरी दादी जब किसी के बारे में बोलती थी कि उसमें कस्तूरी है तब वो विशेष करके दायरा-विच्छेद के उसमें गुण को पहचानती थी और मान देती थी।

लेना, मिल कर लेना

सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1 नवबर 2018 से दिल्ली में न्यूनतम वेतन 14,000-15,400-16,962 रुपये अकुशल-अर्ध कुशल-कुशल श्रमिक के लिये है। फरवरी-आरम्भ तक दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन का निर्धारण नहीं किया था।

✶**विक्टर कम्पोनेन्ट** (बी-86 ओखला फेज-1) फैक्ट्री में 300 मजदूरों की 12 घण्टे की एक शिफ्ट। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। तनखा 6-7-9 हजार रुपये। सब वरकरों ने जनवरी में दो दिन काम बन्द किया। मैनेजमेन्ट ने जनवरी की तनखा नये ग्रेड अनुसार देने की कही है।

✶**सेशासाई** (ए-295 ओखला फेज-1) प्रेस में 300 मजदूर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में चेकबुक आदि छापते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। हैल्परों की तनखा 7000 रुपये। सब वरकरों ने 8 जनवरी को पूरे दिन काम बन्द रखा। मैनेजमेन्ट ने मार्च से वेतन में संशोधन की बात की है।

✶**कन्टेनर डिपो** (तुगलकाबाद) में रिटायर फौजी गार्ड की तनखा 24-25 हजार रुपये लेकिन एक अन्य सेक्युरिटी कम्पनी के जरिये रखे 50 गार्ड को प्रतिदिन 12 घण्टे ड्युटी पर 30-31 दिन के 7500-8000 रुपये।

✶**विभा प्रेस** (सी-66/3 ओखला फेज-2) में 300 मजदूर 12 घण्टे की शिफ्ट में। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। प्रिन्टिंग हैल्परों तथा बाइन्डिंग वरकरों की तनखा 7000 रुपये और इंकमैन व फोल्डर की तनखा 10,000 रुपये। श्रम विभाग वाले आये थे। लिख कर ले गये। और बोले थे कि हो जायेगा। कोई फर्क नहीं। दिसम्बर की तनखा भी पहले वाली ही दी। सब मजदूरों ने 8 जनवरी को छुट्टी कर ली। अब 8 फरवरी देख रहे हैं।

✶**एलनोवा** (सी-58 ओखला फेज-1) फैक्ट्री में 150 वरकर 12 घण्टे की शिफ्ट में। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। नवम्बर के बाद दिसम्बर की तनखा भी पुराने ग्रेड से, 10 हजार 257 रुपये। मजदूरों द्वारा दबाव बढाने पर मैनेजमेन्ट ने जनवरी से नया ग्रेड लागू करने की कही है।

✶**ए एम फैशन** (बी-155 ओखला फेज-1) फैक्ट्री में सब वरकर एकत्र हो गये तब नवम्बर की तनखा नये ग्रेड अनुसार दी। लेकिन दिसम्बर में पुराने ग्रेड से पैसे दिये तो दो मजदूर बात करने गये। मैनेजमेन्ट ने दोनों को निकाल दिया।

✶**कैलाश रिब्बन** (मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र) फैक्ट्री में नवम्बर की तनखा नये ग्रेड से दी लेकिन 8 घण्टे प्रतिदिन ड्युटी की बजाय 12 घण्टे रोज ड्युटी पर।

✶**यूनिलाइन** (एक्स-38 ओखला फेज-2) फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 7500-8000 रुपये। जिनकी ई एस आई तथा पी एफ हैं उनकी तनखा 11-12-14 हजार रुपये लेकिन नवम्बर और दिसम्बर में ई एस आई व पी एफ 14-16 हजार रुपये तनखा अनुसार काटी।

✶**डेल्टा प्यूर** (ए-295 ओखला फेज-1) में नया ग्रेड अप्रैल से की बात। ✶ **मालवा होण्डा** (डब्लू-10 ओखला फेज-2) में तनखा 8-9 हजार रुपये। ✶**दक्ष** (एफ-33/5 ओखला फेज-2) फैक्ट्री में ओवर टाइम के पैसे मिला कर नया ग्रेड। ✶**डी एच एल कूरियर** (ए-85, सी-40, 41, 53 ओखला फेज-2) में वरकर की तनखा 8300 रुपये। ✶**एस आई एस सेक्युरिटी** द्वारा दिल्ली में सप्लाई किये गार्डों को नवम्बर से लागू ग्रेड नहीं।

और बातें यह भी

✶**फैशन एक्सेसरीज** (16 सैक्टर-4, आई एम टी मानेसर) फैक्ट्री में काम करते करीब 1500 मजदूरों में से आधे कम्पनी रोल पर हैं और आधे ठेकेदार कम्पनियों के जरिये रखे हैं। कम्पनी रोल पर को ओवर टाइम का भुगतान दुगुनी दर से। और ठेकेदार कम्पनियों के जरिये रखों में पुराने सौ-एक को ओवर टाइम के पैसे दुगुनी दर से और बाकी को सिंगल रेट से। ऑडिट वाले महीने में 2-3 बार फैक्ट्री आते हैं और मैनेजरों से मिल कर चले जाते हैं। कभी-कभार ही ऑडिट वाले मजदूरों से बात करते हैं और किसी वरकर ने सही बता दिया तो उसे दो-तीन दिन बाद इस-उस बहाने कार्ड होल्ड कर निकाल देते हैं।

✶**क्यू एच टालब्रोस** (400 उद्योग विहार फेज-3, गुड़गाँव) फैक्ट्री में बरसों से काम कर रहे 200 मजदूरों को टेम्परेरी वरकर कहते हैं। फैक्ट्री में 8-8 घण्टे की तीन शिफ्ट हैं लेकिन इन 200 वरकरों को मैनेजमेन्ट रोज जबरन 8 घण्टे ओवर टाइम पर रोकती है। महीने में 150-200 घण्टे ओवर टाइम के। कागजों में ओवर टाइम के घण्टे आधे करके भुगतान दुगुनी दर से दिखाते हैं। मजदूर ड्युटी करते रहते हैं पर उनके कार्ड बदल दते हैं। और, भविष्य निधि कार्यालय में नौकरी छोड़ना (रिजाइन) नहीं दिखाते। इस प्रकार वरकरों के पी एफ के पैसे फँसा देते हैं और एक बन्दा कहता है कि 1000 रुपये दो तब फण्ड के पैसे निकलेंगे।

✶**ओसवाल कास्टिंग** (48 इन्डस्ट्रीयल एरिया, फरीदाबाद) फैक्ट्री में ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से भी कम।

✶**सीनियर फ्लेक्सोनिक्स** (89 सैक्टर-8, आई एम टी मोनसर) फैक्ट्री में जो थोड़े-से परमानेन्ट मजदूर हैं उनके 5000 रुपये बढाये लेकिन टेम्परेरी वरकरों की तनखा में एक पैसा नहीं बढाया।

✶**कैलाश रिब्बन** (403 उद्योग विहार फेज-3 गुड़गाँव) फैक्ट्री में काम करते 150 मजदूरों की ई एस आई नहीं, पी एफ नहीं, और प्रतिदिन 10 घण्टे काम पर इन्हें 26 दिन के 8000 रुपये। दिसम्बर की तनखा 19 जनवरी को जा कर दी। जिन 135 मजदूरों की ई एस आई तथा पी एफ हैं उनके पी एफ खाते में चार महीने से कम्पनी वाला हिस्सा जमा नहीं कर रहे।

✶**आदित्य डिस्पोमेड** (19 सैक्टर-6, आई एम टी मानेसर) फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में सर्जिकल ब्लेड बनते हैं हैं। चार घण्टे को ओवर टाइम कहते हैं लेकिन भुगतान दुगुनी दर की बजाय सिंगल रेट से करते हैं।

✶**किरण उद्योग** (32 सैक्टर-3 और 28 सैक्टर-4, आई एम टी मानेसर) फैक्ट्रियों में कई बार काम बन्द करके बोनस ले लिया। इधर कम्पनी तनखा में देरी करने लगी है। ✶**सेनटेक** (25 सैक्टर-5, आई एम टी मानेसर) फैक्ट्री में मैनेजमेन्ट 700 रुपये बढाने की कह रही थी लेकिन दबाव के कारण 1400 रुपये बढाये हैं।

✶**एन टी एफ** (49 सैक्टर-3, आई एम टी मानेसर) फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में मारुति सुजुकी वाहनों के पार्ट्स बनते हैं। प्रतिदिन साढे तीन घण्टे को ओवर टाइम कहते हैं लेकिन उनका भुगतान सिंगल रेट से करते हैं।

कानून का राज
कानून का हाल

दिल्ली में 35 सरकारी अस्पतालों (लोक नायक, जी बी पन्त, बाबा साहेब अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, जग प्रवेश चन्द्र, राव तुलाराम आदि) में काम करते अधिकतर वरकरों को दस वर्ष से भी अधिक समय से दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा। दिल्ली सरकार ने इस दौरान न्यूनतम वेतन ग्रेड में दो बार वृद्धि की और महँगाई भत्ता तो वर्ष में दो बार घोषित किया ही जाता है। वर्ष में कम से कम एक महीने की तनखा बोनस में देने का कानून है लेकिन दिल्ली में 35 सरकारी अस्पतालों में अधिकतर वरकरों को दस वर्ष में एक बार भी बोनस नहीं दिया गया। स्थाई काम के लिये स्थाई वरकर रखने का कानून है लेकिन दिल्ली में 35 सरकारी अस्पतालों में अधिकतर वरकर दस वर्ष से अधिक समय से टेम्परेरी हैं। यह तो हुये राज्य सरकार के अखाड़े। ई एस आई तथा पी एफ केन्द्र सरकार के संगठन हैं। दिल्ली में 35 सरकारी अस्पतालों में काम करते अधिकतर वरकरों की ई एस आई नहीं। दिल्ली में 35 सरकारी अस्पतालों में काम करते अधिकतर वरकरों की पी एफ नहीं।

गणतन्त्र दिवस से पहले के अंक, 25 जनवरी 2019 के इण्डियन एक्सप्रेस अखबार में सरकार की एक आन्तरिक रिपोर्ट के हवाले से उपरोक्त बातें कही गई हैं।

एक और विद्रोह

बांग्लादेश में राजधानी ढाका के औद्योगिक क्षेत्रों में 6 जनवरी को मजदूरों ने फिर विद्रोह आरम्भ किया। श्रमिक विद्रोह 7-8-9 जनवरी को जारी रहा। मुख्य सड़कों पर श्रमिक एकत्र हुये — बहुत बड़ी सँख्या में महिला मजदूर सड़कों पर। पुलिस के संग अर्ध-सैनिक बल ने सड़कें खाली करवाने के लिये आँसू गैस, लाठी चार्ज, रबड़ की गोलियाँ, और गोलियाँ चलाई।

सिलेसिलाये वस्त्र तैयार करने में बांग्लादेश क्षेत्र तीव्र गति से विश्व में दूसरे स्थान पर पहुँच गया है। गारमेन्ट्स फैक्ट्रियों में अब करीब चालीस लाख श्रमिक हैं और इनमें अधिकतर मजदूर महिला हैं।

इन दस-पन्द्रह वर्षों में बांग्लादेश में श्रमिक विद्रोह बढते आये हैं और महिला मजदूरों की बहुत बड़ी सँख्या इनमें सक्रिय नजर आती है। यही नजारा ओखला औद्योगिक क्षेत्र में फरवरी 2013 में, आई एम टी मानेसर में पूरे 2014 में, उद्योग विहार गुड़गाँव में फरवरी 2015 में, केरल में मुन्नार के चाय बागानों में, बेंगलुरु में गारमेन्ट वरकरों के विद्रोह में दिखा : महिला मजदूरों की व्यापक और सक्रिय भूमिका।

(एक मित्र द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे बांग्लादेश में अँग्रेजी में छपते अखबारों से जानकारी ली है।)

मुख्य नियोक्ता, प्रिन्सीपल इम्पलॉयर

फैक्ट्रियों में ठेकेदार कम्पनियों के जरिये मजदूर रखना बहुत-ही व्यापक है। निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं, तनखा में देरी, छोड़ने पर दस-बीस दिन किये काम के पैसे नहीं देना, आम हैं। साप्ताहिक अवकाश नहीं, 20 दिन पर एक सवेतन छुट्टी नहीं, ओवर टाइम का भुगतान दुगुनी दर से नहीं, वार्षिक बोनस नहीं, सामान्य हैं। सुरक्षा के उपकरण नहीं, ई एस आई कार्ड नहीं, पी एफ नहीं— अथवा जमा नहीं करना — अथवा कम जमा करना — अथवा फण्ड निकालने के लिये जो आवश्यक है वह नहीं करना, फैक्ट्रियों में सामान्य हैं। मैनेजमेन्ट हर मर्ज की एक दवा बताती है : हम कुछ नहीं जानते, ठेकेदार से बात करो। जबकि ठेकेदार कम्पनियों से समझौते मैनेजमेन्ट स्वयं करती है और अपना कट-कमीशन लेती है। वैसे, कम्पनियों की अपनी सरकार का कानून है कि फैक्ट्री की हर बात के लिये फैक्ट्री मैनेजमेन्ट जिम्मेदार है।

इसलिये उत्पादन करने वाले मजदूर हों, या कैन्टीन वरकर हों, या सेक्युरिटी गार्ड हों, या हाउसकीपिंग मजदूर हों, पहली बात तो यह बनती है कि ऊपर वाली बातों के लिये ठेकेदार कम्पनियों के चक्कर नहीं काटना।

क्या-क्या आसानी से कर सकते हैं :

1) कम्पनी से, फैक्ट्री से मजदूर की कोई नातेदारी-रिश्तेदारी नहीं होती। काम, और सिर्फ काम का सम्बन्ध है। ऊपर जिन मामलों का जिक्र किया है उनके समाधान के लिये प्रोडक्शन पर असर डालना कारगर है। और, यह मिल कर ही आसानी से कर सकते हैं।

2) टी-ब्रेक में, लन्च-ब्रेक में सब वरकर आसानी से एकत्र हो जाते हैं। मैनेजर के पास इक्ट्ठे जाना, दो-तीन का आगे हो कर नहीं बोलना, साहब को समझाने की कोशिश नहीं करना, समाधान की राह पर बढना है। चार-पाँच बार सौ-दौ सौ का मैनेजर के पास इक्ट्ठे जाना आमतौर पर पर्याप्त होता है।

3) आपस में चर्चायें कर एक-दो दिन सब मजदूरों का फैक्ट्री जाना ही नहीं, आसान और कारगार है।

4) फैक्ट्री छोड़ दी है, अथवा अकेल-दुकेले हो गये हैं तो फैक्ट्री मैनेजमेन्ट के खिलाफ सम्बन्धित सरकारी विभाग को शिकायत करना मुश्किल नहीं है। ईमेल द्वारा शिकायत करना आसान और सस्ता भी है। नौकरी करते हुये कर सकते हैं। अपनी मेल आई डी से नहीं बल्कि अन्य फैक्ट्री के साथी की मेल आई डी प्रयोग करना निश्चिन्त रहना लिये है।

✶ **मितसुबा सिकल** (पथरेड़ी, तावडू रोड़, बिलासपुर, गुड़गाँव) फैक्ट्री में ठेकेदार कम्पनी के जरिये भर्ती के समय कहते हैं कि तनखा पहली तारीख को बैंक खाते में पहुँच जायेगी। लेकिन एक ठेकेदार कम्पनी ऐसा करती नहीं। आज और कल कहते-कहते 10-15 दिन निकाल देते हैं। वाहनों के इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक पार्ट्स बनाती मितसुबा कम्पनी की जापान में सात फैक्ट्रियों के संग अमरीका, चीन, जर्मनी, इण्डोनेसिया, रूस, मोरक्को आदि में फैक्ट्रियाँ हैं।

✶ **सिग्मा ऑटोमोटिव** (16 सैक्टर-3, आई एम टी मोनसर) फैक्ट्री में वर्ष-भर नौकरी करने के बाद 25 वरकरों ने मार्च 2018 में नौकरी छोड़ दी। दिवाली पर इन मजदूरों को बोनस देने से इनकार कर दिया। (वैसे, **होण्डा** फैक्ट्री में 15 जनवरी की सूचना : "सभी ठेकेदार श्रमिकों को सूचित किया जाता है..... अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक 30 दिन या इसे अधिक कार्य किया है उन सभी कर्मचारियों का बोनस बना हुआ है।" फलाँ-फलाँ तारीख को होण्डा फैक्ट्री आ कर अपना बोनस ले सकते हैं।

✶ **एस एस सी सेक्युरिटी** (कार्यालय साकेत, दिल्ली) कम्पनी ने ओखला में फैक्ट्रियों को गार्ड सप्लाई किये हैं। यह गार्ड 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में ड्युटी करते हैं। इन्हें साप्ताहिक अवकाश नहीं, त्यौहारी छुट्टी नहीं। प्रतिदिन 12 घण्टे ड्यटी पर 30-31 दिन के गार्ड को 10 से 14 हजार रुपये और इन पैसों में से ही ई एस आई तथा पी एफ राशि काटते हैं।

✶ **एमटेक ऑटो** (53-54 सैक्टर-3 आई एम टी मानेसर) फैक्ट्री में नौकरी छोड़ने पर मजदूर की तनखा उसके बैंक खाते में नहीं भेजी। पूछने पर बोले कि नौकरी छोड़ दी इसलिये तनखा नहीं देंगे। वरकर श्रम विभाग गया और वहाँ से अधिकारी ने फैक्ट्री फोन किया तो मैनेजर बोला कि पैसे दे देंगे।

साझेदारी

✶ आई एम टी मानेसर, उद्योग विहार गुड़गाँव, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नोएडा, फरीदाबाद में मजदूर समाचार का वितरण हर महीने होता है।

✶ मजदूर समाचार के वितरण के दौरान फुरसत से बातचीत मुश्किल रहती है। इसलिये मिलने-बातचीत के लिये पहले ही सूचना देने का सिलसिला आरम्भ किया है। चाहें तो अपनी बातें लिख कर ला सकते हैं, चाहें तो समय निकाल कर बात कर सकते हैं, चाहें तो दोनों कर सकते हैं।

— शुक्रवार, 1 मार्च को सुबह 6 बजे से 9½ तक आई एम टी मानेसर में सैक्टर-3 में बिजली सब-स्टेशन के पास मिलेंगे। खोह गाँव की तरफ से आई एम टी में प्रवेश करते ही यह स्थान है। जे एन एस फैक्ट्री पर कट वाला रोड़ वहाँ गया है।

— उद्योग विहार, गुड़गाँव में फेज -1 में पीर बाबा रोड़ पर वोडाफोन बिल्डिंग के पास वीरवार, 28 फरवरी को सुबह 7 से 10 बजे तक बातचीत के लिये रहेंगे। यह जगह पेड़ के नीचे चाय की दुकान के सामने है।

— शनिवार, 2 मार्च को सुबह 7 से 10 बजे तक चर्चा के लिये ओखला-सरिता विहार रेलवे क्रॉसिंग (साइडिंग) पर उपलब्ध रहेंगे।

✶ फरीदाबाद में फरवरी में हर रविवार को मिलेंगे। सुबह 10 से देर साँय तक अपनी सुविधा अनुसार आप आ सकते हैं। फरीदाबाद में बाटा चौक से थर्मल पावर हाउस होते हुए रास्ता है। ऑटोपिन झुग्गियाँ पाँच-सात मिनट की पैदल दूरी पर हैं।

फोन तथा व्हाट्सएप के लिये नम्बर : 9643246782

ई-मेल < majdoorsamachartalmel@gmail.com >

एक्सीडेन्ट रिपोर्ट ....(पेज चार का शेष)

ने एक्सीडेन्ट रिपोर्ट की आवश्यकता के बारे में चर्चायें की। चोट लगने के दो महीने बाद मजदूरों ने दबाव डाल कर मैनेजमेन्ट से एक्सीडेन्ट रिपोर्ट भरवाई। ई एस आई अस्पताल में दिखाया। एक्सीडेन्ट के चार महीने बाद ई एस आई ने मजदूर के पैर का ऑपरेशन करवाया। ई एस आई डॉक्टर द्वारा मेडिकल फिटनेस देने के बाद वरकर फैक्ट्री में ड्युटी करने लगा। पैर में दर्द बना रहा। इधर जनवरी में ई एस आई ने उस वरकर के पैर का फिर ऑपरेशन करवाया है। एक्सीडेन्ट रिपोर्ट भरी होने के कारण क्षतिपूर्ति की बात है।

मजदूरों के बीच चर्चायें और मिल कर करना कारगर उपाय हैं।

एक्सीडेन्ट रिपोर्ट

फैक्ट्रियों में चोटें लगती रहती हैं। कम्पनियों की सरकार ने कम्पनियों को क्षतिपूर्ति देने से मुक्त करने के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई एस आई कॉरपोरेशन) की रचना की। सरकार ने नियम बनाया कि फैक्ट्री में भर्ती करते ही मजदूर की ई एस आई करवाई जाये। वरकर की तनखा से एक राशि और कम्पनी द्वारा एक राशि ई एस आई कॉरपोरेशन को दी जाये। फैक्ट्री में एक्सीडेन्ट होने पर कम्पनी मुक्त और मजदूर का उपचार तथा मुआवजा देना ई एस आई कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी। फैक्ट्री में वरकर कैजुअल हों चाहे ठेकेदार कम्पनी के जरिये रखे गये हों, ड्युटी के पहले दिन से हर मजदूर पर ई एस आई के प्रावधान लागू। श्रमिक के बीमार होने, पेशेगत बीमारी होने, फैक्ट्री में एक्सीडेन्ट होने पर उपचार तथा क्षतिपूर्ति के संग-संग ई एस आई कॉरपोरेशन मजदूर के परिवार के सदस्यों के इलाज के लिये भी जिम्मेदार।

कम्पनियों के सामुहिक हित और और कम्पनियों के निजी हित में टकराव सामान्य हैं। दिल्ली हो चाहे हरियाणा या उत्तर प्रदेश, या गुजरात, फैक्ट्रियों में काम करते मजदूरों की बहुत बड़ी सँख्या की ई एस आई नहीं थी। फरीदाबाद में कपड़ा मिलें बन्द होने के बाद गुजरात में सूरत गये मजदूरों ने दस वर्ष पहले बताया था : रंगाई-छपाई की करीब एक हजार फैक्ट्रियों में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट, हर फैक्ट्री में हजार-बारह सौ मजदूर, और एक भी वरकर की ई एस आई नहीं। कताई-बुनाई-रंगाई-छपाई वाली कम्पोजिट मिलें मुम्बई, कानपुर, इन्दौर, ग्वालियर, फरीदाबाद, दिल्ली में बन्द हो गई लेकिन कपड़े का उत्पादन कई गुणा बढ गया की गुत्थी खोलने में सूरत दूसरा पेंच भी खोलती है। एक शेड में पचास-साठ पावरलूम वाले हजारों स्थान सूरत में और पीस रेट पर कपड़ा बुनते करीब दस लाख मजदूर। रंगाई-छपाई की फैक्ट्रियों में काम करते दस लाख श्रमिकों की ही तरह सूरत में कपड़ा बुनते लाखों वरकरों में एक मजदूर की भी ई एस आई नहीं।

पाँच-छह वर्ष पहले फरीदाबाद, ओखला, गुड़गाँव में फैक्ट्रियों में मजदूरों की सँख्या की बात पर : ई एस आई के आधार पर जो सँख्या बनती है उसे चार-पाँच से गुणा कर दें तब फैक्ट्री वरकरों की वास्तविक सँख्या के करीब होंगे।

इन पाँच-छह वर्षों में तमिलनाडु में ऑटो क्षेत्र की फैक्ट्रियों, बेंगलुरु में गारमेन्ट्स फैक्ट्रियों, केरल में चाय बागानों की ही तरह नोएडा, ओखला, पृथला-बघौला, उद्योग विहार गुड़गाँव, आई एम टी मानेसर, अलवर के औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों के उल्लेखनीय विद्रोह हुये हैं। ऐसे में फैक्ट्रियों में काम करते मजदूरों की बड़ी सँख्या का कोई अता-पता ही नहीं होना दमन करने, नियन्त्रित करने में बड़ी बाधा के तौर पर देखा गया। कम्पनियों के सामुहिक हित में सरकार ने कम्पनियों के निजी हितों को किनारे किया। अचानक दिल्ली और इर्द-गिर्द के औद्योगिक क्षेत्रों में ई एस आई वाले मजदूरों की सँख्या में लाखों की वृद्धि हुई। इधर ई एस आई कार्ड उँगलियों के निशान, आँख की पुतली की पहचान की राह थानों में दस नम्बरियों के अँगूठे के निशान रखने से बहुत आगे है। वैसे, अब इन क्षेत्रों में ई एस आई के आधार पर फैक्ट्री मजदूरों की जो सँख्या है उसे दो-ढाई से गुणा करने पर वास्तविक सँख्या के निकट पहुँचेंगे।

कुछ वर्ष पहले एक अनुभवी पावर प्रैस मेन्टेनैन्स वरकर के अनुसारः फरीदाबाद में करीब 200 फैक्ट्रियों में पावर प्रैसें थी और हर रोज मजदूरों की उँगलियाँ-हाथ कटना सामान्य था। अनुभवी मजदूर के अनुसार हाथ कटने के मुख्य कारण यह थे : 1) दिन-रात 12-12 घण्टे की शिफ्टों में काम; 2) अधिक उत्पादन के लिये ओपन डाई; 3) उत्पादन रोकने से बचने और खर्च में कमी के लिये उचित मेन्टेनैन्स से बचना; 4) ऑपरेटरों की बजाय हैल्परों से पावर प्रैस चलवाना; 5) खर्च घटाने के लिये न्यूमैटिक पावर प्रैसों की जगह मैकेनिकल प्रैसों का प्रयोग जारी रखना। सैक्टर-25 में विक्टोरा टूल्स और इन्डस्ट्रीयल एरिया में वी जी इन्डस्ट्रीज फैक्टियाँ हाथ काटू के तौर पर कुख्यात थी।

इन दस वर्षों में शीट मैटल का काम बहुत बढा है। फरीदाबाद में भी पावर प्रैसों वाली फैक्ट्रियों की सँख्या काफी बढी है। मारुति सुजुकी हो चाहे होण्डा या एस्कोर्ट्स हो चाहे जे सी बी, इनके कल-पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हजारों में हैं। इधर न्यूमैटिक प्रैस, बन्द डाई, और सेन्सरों के व्यापक प्रयोग से हाथ कटने पर कुछ नियन्त्रण आया है। लेकिन क्रूर बुद्धि द्वारा 12-12 घण्टे की दो शिफ्टें सामान्य बनाने, ऑपरेटरों की बजाय हैल्परों से पावर प्रैसें चलवाना जारी रखने, और अधिक उत्पादन के लिये सैन्सर हटाने के कारण फैक्ट्रियों में हाथ कटना जारी है।

फैक्ट्री में चोट लगने पर एक्सीडेन्ट रिपोर्ट नहीं भरना व्यापक रहा है और अब भी व्यापक है। एक कारण घायल मजदूर की ई एस आई नहीं होना होता है तो दूसरा कारण कम्पनियों द्वारा कागजों में स्वयं की उज्जवल छवि दिखाना होता है। वरकर की ई एस आई होते हुये भी मैनेजमेन्ट द्वारा एक्सीडेन्ट रिपोर्ट नहीं भरना काफी होता है। गम्भीर चोट लगते ही तत्काल किसी अस्पताल ले जाने तक बात ठीक है। लेकिन फिर एक्सीडेन्ट रिपोर्ट नहीं भरना और ई एस आई असपताल नहीं जाने देने के लिये दूध-फल-सहायता के नाम पर पैसे देना, भविष्य के लिये आश्वासन देना क्रूर बुद्धि द्वारा जाल बुनना होता है। औद्योगिक क्षेत्रों में मैनेजमेन्टों के इस जाल में फँसे हजारों मजदूरों के कटु अनुभव हैं।

आँख जैसा नाजुक अंग हो चाहे हाथ-पैर, चोट ज्यादा नहीं लगती हो तब भी एक्सीडेन्ट रिपोर्ट भरवाना बनता है। घायल का तत्काल किसी अस्पताल में आवश्यक प्रारम्भिक उपचार के बाद ई एस आई अस्पताल जाना बनता है। कई अस्पतालों में धन्धा इस स्तर पर है कि डॉक्टर लोग फैक्ट्री मैनेजमेन्टों के वकीलों की तरह व्यवहार करते हैं। कम्पनी ने ऐसीडेन्ट रिपेर्ट नहीं भरी हो तब भी ई एस आई अस्पताल जाने से घायल मजदूर के लिये राह खुलती है — एक्सीडेन्ट रिपोर्ट भरने के लिये कम्पनी पर दबाव बढता है।

फैक्ट्रियों में लगती चोटें खतरनाक पाई गई हैं। कुछ वर्ष पहले नोएडा फेज-2 में एक मैटल पॉलिश फैक्ट्री (एम ए डिजाइन, ए-41 सैक्टर-80) में एक मजदूर के पैर में चोट लगी। घायल वरकर को कम्पनी नोएडा में एक अस्पताल ले गई। कम्पनी ने इलाज करवाया और वरकर को खर्चा भी दिया। लेकिन एक्सीडेन्ट रिपोर्ट नहीं भरी हालाँकि मजदूर की ई एस आई थी। कम्पनी का अहसान मान कर चोट खाया वरकर उपचार के बाद फैक्ट्री में ड्युटी करने लगा। लेकिन सहकर्मियों (बाकी पेज तीन पर)

बीस हजार

हर महीने मजदूर समाचार की पन्द्रह हजार के आसपास प्रतियाँ नोएडा, ओखला, गुड़गाँव, आई एम टी मानेसर, और फरीदाबाद में फैक्ट्री मजदूरों के बीच बँटती हैं। जनवरी 2019 अंक की बीस हजार प्रतियाँ बँटी। जबकि, कुछ मिलने-जुलने, कुछ मनन, और कुछ सुस्ताने के वास्ते समय के लिये जिन स्थानों पर हर महीने मजदूर समाचार बाँटते हैं उनमें से छह पर जनवरी अंक नहीं बाँटा।

कई पाठक अपने सहकर्मियों और मित्रों के लिये 2-3-5-10-15 प्रतियाँ सड़क पर बँटते समय लेते हैं। कुछ पाठक इधर तेजी से 50 से 100 से 200 से 500 से 800 से 1000 प्रतियाँ बाँटने के लिये लेने लगे हैं। एक ने किस्तों में जनवरी अंक की 1700 प्रतियाँ और चार के समूह ने 7150 प्रतियाँ बाँटने के लिये ली।

व्हाट्सएप पर लेते बहुत-से पाठक मजदूर समाचार को अपने ग्रुपों में फारवर्ड करते हैं। व्हाट्सएप पर पढते एक पाठक ने बॉटने के लिये जनवरी अंक की 100 प्रतियाँ भी ली।

आप भी मजदूर समाचार की प्रतियाँ बॉटना चाहते हैं तो फोन और व्हाट्सएप नम्बर 9643246782 पर हम से सम्पर्क करें।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए रौनिजा प्रिन्टर्स फरीदाबाद से मुद्रित किया। **RN 42233**
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी—551 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।

This document was created with the Win2PDF “print to PDF” printer available at
http://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com/purchase/